श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एंव विज्ञान संस्थान इन्दौर

10 DEC 2025

अत्यावश्यक–सूचना पत्र

दिनांक 09/12/2025

पोमेछा/2025/ 1322

विषय :– मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना नवीनीकरण वर्ष 2025–26 विद्यार्थियों (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष) हेतु सूचना पत्र।

संस्थान के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (शिक्षा प्रोत्साहन) हेतु आवेदन किया था, वे निम्न दस्तावेज सहित वर्ष 2025–26 हेतु ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन करे व हार्डकापी स्कालरशिप विभाग में जमा करे।

1 मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग मे विद्यार्थीयो के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप मे पंजीयन हो।

2 कोई भी विद्यार्थी जिने जेईई मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त की है व किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कालेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो

अ) शासकीय कालेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

ब) प्रायवेट कालेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूपसे देय शुल्क जो कम हो, राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3 विद्यार्थीयो द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट/प्रतिपूर्ति हेतु medhavikalyan.mp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूजरीआईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

4 विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन आवेदन करे।

5 विद्यार्थी को अपना आधार नम्चर एवं माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक ऑन लाईन आवेदन से भरना होगा।

6 संस्थान के होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी होस्टल फीस की जानकारी विवरण रसीद संलग्न करे।

7 आवेदन करते समय विद्यार्थी को अंहकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, अलाटमेंट लेटर, प्रवेश पत्र एवं चालान की प्रतिलिपि, समग्र आय.डी, आधार कार्ड,बैक पास बुक की फोटोकापी एवं समस्त दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर करे।

8 विद्यार्थी अपने हार्डकापी दो प्रतियों में अलग–2 संलग्न कर जमा करे।

9 विद्यार्थी द्वारा ऑन लाईन भरा हुआ आवेदन प्रिन्टकर मय दस्तावेजो के साथ संस्थान में जमा करना होगा। आवेदन प्रिंट कर मय दस्तावेजो के साथ संस्थान में जमा करना होगा।

समस्त पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2025 तक पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप विभाग (रजिस्ट्रार विभाग) में जमा करे।

निदेशक

प्रतिलिपि :–

1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल

2) संस्थान की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।